न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 72/2019 (Bank Case)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, RASMEC (E-SBT) KOTA जर्ये प्राधिकृत अधिकारी मुख्य प्रबन्धक RASMEC KOTA

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. Sh. Mukesh Kumawat S/o Sh. Ganpat lal Kumawat R/o 2-B-10, Talwandi, kota Raj –(ऋणी)
2. Sh. Ganpat lal Kumawat S/o Sh. Laduram R/o 2-B-10, Talwandi, kota Raj –(ऋणी व बंधककर्ता)
3. Sri RGK Manoj Jdev S/o Sh. Ganpatlal Kumawat –(जमानतदार)
4. Smt. Rameshwari Rahoria R/o 2-B-10, Talwandi, kota Raj –(जमानतदार)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री बी.पी. दाधिच, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 18.06.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, RASMEC KOTA में स्थित व कार्यरत है । प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी मुख्य प्रबन्धक RASMEC KOTA है । अप्रार्थी नं0 1 व 2 ने प्रार्थी बैंक से जर्ये खाता संख्या 67305942224 दिनांक 18.12.2014 को 5,60,000/– (अक्षरेः पांच लाख, साठ हजार रूपये मात्र) एवं खाता संख्या 67644199971 दिनांक 23.11.2015 को रूपये 3,00,000/– (अक्षरेः रूपये तीन लाख, मात्र) कुल का ऋण लिया था । अप्रार्थी नं0 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति मकान नं0 2–डी–10, तलवण्डी, कोटा राज0 जिसका आवासन बोर्ड जयपुर द्वारा आवंटन पत्र कमांक/14331 दिनांक 5.10.82 से गणपत लाल कुमावत पुत्र श्री लादूराम जी के नाम से जारीसुदा है । जिसका क्षैत्रफल 67.50 वर्गमीटर है । जिसकी चर्तुः सीमाएं पूरब में– आवास संख्या 2–बी–9, पश्चिम में–आवास संख्या 2–डी–11, उत्तर में–आवास संख्या 2–डी–36–37, दक्षिण में–रोड़ है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 25.12.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 7,53,752/– (अक्षरे रूपये सात लाख, तरेपन हजार, सात सौ, बावन मात्र) बकाया रकम दिनांक 05.01.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस दिनांक 11.01.2019 को प्राप्ति के बावजूद** ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था

जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

को नही सम्भलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं करने से **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस दिनांक 11.01.2019 को प्राप्ति के बावजूद** ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। **प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये तथा नोटिस दिनांक 11.01.2019 को प्राप्ति के पश्चात** भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति मकान नं0 2–डी–10, तलवण्डी, कोटा राज0 जिसका आवासन बोर्ड जयपुर द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक/14331 दिनांक 5.10.82 से गणपत लाल कुमावत पुत्र श्री लादूराम जी के नाम से जारीसुदा है । जिसका क्षैत्रफल 67.50 वर्गमीटर है । जिसकी चर्तुः सीमाएं पूरब में– आवास संख्या 2–बी–9, पश्चिम में–आवास संख्या 2–डी–11, उत्तर में–आवास संख्या 2–डी–36–37, दक्षिण में–रोड़ है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 18.06.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner